

#1120

स्वायत्त उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ (राज.)

(पीठसीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - मिस्वाहीडा)

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 877 दायर दिनांक 09/10/2025 निर्णय दिनांक 9/10/25



क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	मिस्वाहीडा	391	महोदय जी, निवेदन है कि मुलाविक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है। वर्तमान प्रविष्टी बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्थान ग्रामीण बैंक शुद्ध प्रविष्टी	तहसिलीदार कपासन की अनुश्रवा स्वीकार की जाकर राज.भू.श.अधि.1956 की धारा 136 के अन्वये अनुसूचित राजस्व रेकार्ड में ग्राम मिस्वाहीडा प.ह. मिस्वाहीडा खालास 391 में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन  
तहसीलदार(भू.अ.) कपासन  
तहसीलदार(भू.अ.) कपासन

सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
स्वायत्त जिला-चितौड़गढ